संख्या वे० आ० 2799/दस–110–73

प्रेषक,

श्री स्वतंत्र वीर सिंह जुनेजा,

आयुक्त एवं वित्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा

प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 4 जुलाई, 1973।

विषय—नये वेतन-मानों में वेतन निर्धारण ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग ।

महोदय,

मुझे, उत्तर प्रदेश वेतन आयोग, 1971–73 की रिपोर्ट पर शासकीय संकल्प संख्या वे० आ० 637/दस–100(11)–73, दिनांक 6 मार्च, 1973 के पैरा 2(6), जहां तक उसका सम्बन्ध रिपोर्ट के भाग 1 के अध्याय 19 में दी गई नये वेतन-मानों में वेतन निर्धारण करने की रीति से है, के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि नये वेतन-मान में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का, जो 1 अगस्त, 1972 को या 1 अगस्त, 1972 एवं 6 मार्च, 1973 के बीच राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में था, प्रारम्भिक वेतन, उसके मूल/मौलिक पद तथा स्थानापन्न पद पर, अलग-अलग उसके द्वारा की गई सेवाओं की अवधि अथवा उसकी "वर्तमान परिलब्धियों" (जिसकी परिभाषा नीचे दी गई है) के आधार पर, जैसी भी स्थिति हो, निम्नलिखित आदेशों के अनुसार निश्चित किया जायेगा :—

"वर्तमान परिलब्धियों" की परिभाषा

2—(क) किसी कर्मचारी की "वर्तमान परिलब्धियां" उस दिनांक को, जब से वह नये वेतन-मान में आता है, निम्नलिखित को जोड़कर निर्धारित की जायेंगी :—

(1) पद के स्पेशल ग्रेड, सेलेक्शन ग्रेड, सीनियर स्केल अथवा सामान्य ग्रेड, जैसी भी स्थिति हो, के वर्तमान वेतन क्रममान में वेतन या वेतन की निश्चित दर, जैसी भी स्थिति हो ।

(2) ऐसा विशेष वेतन, जो किसी उच्च वेतन-मान के बदले में अनुमन्य था और जिसे अब बन्द करके उसके बदले में उच्च वेतन-मान स्वीकृत किया गया हो ।

(3) वित्तीय नियम-संग्रह, खण्ड 2, भाग 2 से 4, के मूल नियम 9 (21) के अधीन वेतन के स्वरूप में तदर्थ (एडहाक) वेतन ।

(4) वैयक्तिक वेतन, जहां वह इस समय आगे की वेतन वृद्धियों में संविलीन न किया जा सकता हो, अर्थात् जहां उसे वर्तमान आदेशों के अधीन कम न किया जा सकता हो ।

(5) 31 जुलाई, 1972 को प्रभावी महंगाई भत्ता, तथा

(6) नीचे कालम 3 में अंकित अंतरिम सहायता :—

वेतन सीमा	इस समय देय अंतरिम सहायता	अंतरिम सहायता जो वेतन निर्धारण में संविलीन होगी
1	2	3
रु०	रु०	रु०
85 से नीचे	20	15
85—209	41	25

वेतन सीमा	इस समय देय अंतरिम सहायता	अंतरिम सहायता जो वेतन निर्धारण में संविलीन होगी
1	2	3
रु०	रु०	रु०
210—499	50	30
500—575	70	45
576—584	वह धनराशि जिसे मिलाकर कुल योग रुपये 645 हो जाय।	45
585—1,250	60	45
1,251 तथा उससे ऊपर	वह धनराशि जिसे मिलाकर कुल योग रु० 1,310 हो जाय।	वह धनराशि जिसे मिलाकर कुल योग रु० 1,295 हो जाय

(ख) "वर्तमान परिलब्धियों" की परिगणना में निम्नलिखित मदें सम्मिलित नहीं की जायेंगी :—

(i) ऐसा विशेष वेतन जो किसी उच्च वेतन-मान के बदले में अनुमन्य था और जिसे नये वेतन-मान के साथ चालू रहने दिया गया हो, तथा वित्तीय नियम-संग्रह, खंड 2, भाग 2 से 4, के मूल नियम 9 (25) के अधीन दिया गया विशेष वेतन।

(ii) स्नातकोत्तर वेतन।

(iii) डाक्टरों/स्वास्थ्य अधिकारियों को देय नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता/वेतन।

(iv) प्राविधिक वेतन या कोई अन्य प्रकार का वेतन, जो ऊपर पैरा 2 (क) में शामिल नहीं है।

(v) वैयक्तिक वेतन, सिवाय उसके जिसका उल्लेख उपर्युक्त पैरा 2 (क) के उप-पैरा (4) में किया गया हो।

(vi) ~~अन्य कोई भत्ते तथा अन्तरिम सहायता की वह धनराशि जो ऊपर पैरा 2 (क) के उप-पैरा (6) के अनुसार समायोजन के पश्चात् शेष रह जायगी, अर्थात् उक्त उप-पैरा (6) के कालम 2 व 3 का अन्तर।~~

नये वेतन-मानों में प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण

3—(1) ऊपर बताये गये सिद्धान्तों के अनुसार "वर्तमान परिलब्धियां" निर्धारित करने के बाद, नये वेतन-मान में वेतन निर्धारण निम्नलिखित दो प्रक्रियाओं में से उस प्रक्रिया के अनुसार किया जायगा जो कर्मचारी के लिये अधिक लाभदायक हो :—

(क) पहली प्रक्रिया—

(i) कर्मचारी द्वारा अपने वर्तमान पद पर की गई सेवा के हर तीन वर्ष के सेवाकाल के लिये नये वेतनमान के न्यूनतम के ऊपर एक अग्रिम वेतन वृद्धि इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाय कि इस प्रकार दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियां पांच से अधिक न हों। उपर्युक्त गणना में 18 महीने अथवा उससे अधिक, तथा तीन वर्ष तक की अवधि की सेवा के उस अंश के लिये एक अग्रिम वेतन वृद्धि देय होगी।

(ii) उपर्युक्त उप-पैरा (क) (i) के अनुसार 15 वर्ष से ऊपर हर अतिरिक्त पांच वर्ष की सेवा के लिये एक और अग्रिम वेतन वृद्धि इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाय कि इस प्रकार से दी जाने वाली अतिरिक्त अग्रिम वेतन वृद्धियां दो से अधिक न हों। इस गणना में 30 महीने अथवा उससे अधिक अवधि तथा पांच वर्ष तक की सेवा के अंश के लिये एक अग्रिम वेतन वृद्धि देय होगी।

नोट:—(i) "सेवा" शब्द में किसी नियमित अस्थायी पद/पदों पर की गयी सेवा तथा उसी वेतन कालमान अथवा तत्सम वेतन कालमान में समय-समय पर की गयी सेवा की अवधि सम्मिलित होगी।

(ii) "पद" शब्द का अभिप्राय किसी कर्मचारी द्वारा समय-समय पर धारित ऐसे पद या पदों से है, तथा उसमें ऐसे पद भी सम्मिलित समझे जायेंगे, जिनका वही (same) वेतन कालमान अथवा तत्सम (identical) वेतन कालमान हो। ऐसे मामलों में, जहां पद या पदों के वेतनमान पूर्वकाल में पुनरीक्षित किये गये हों, "पद" शब्द का अभिप्राय ऐसे पद या पदों से भी होगा जिनका पुनरीक्षण के पूर्व का वेतन-मान तदनुरूप रहा हो।

(ख) दूसरी प्रक्रिया--

नये वेतन-मान में "वर्तमान परिलब्धियों" के अगले उच्च स्तर के ऊपर एक काल्पनिक वेतन वृद्धि देकर जो स्तर आवे, उसी पर प्रारम्भिक वेतन निर्धारित कर दिया जाय परन्तु वह स्तर नये वेतन-मान के अधिकतम से अधिक नहीं होगा।

नोट---यदि कोई कर्मचारी 1 अगस्त, 1972 को अथवा 1 अगस्त, 1972 और 6 मार्च, 1973 के बीच किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, तो उपर्युक्त प्रक्रिया (क) या (ख) जो भी कर्मचारी के लिए लाभदायक हो, उसके मूल (original)/मौलिक (substantive) पद पर नये वेतन-मान में वेतन-निर्धारण के लिये भी लागू होगी। उसके मूल/मौलिक पद पर सेवाकाल की गणना करते समय उच्च पद पर उसके द्वारा की गई सेवा को भी जोड़ दिया जायगा। निम्न/मूल (स्थानापन्न) पद पर की गई सेवा की गणना के लिये सक्षम प्राधिकारी का इस आशय का एक प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा, कि यदि वह उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त न किया गया होता तो वह निम्न /मूल (स्थानापन्न) पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता।

(2) यदि किसी पद धारक को मिलने वाली वर्तमान परिलब्धियां नये वेतन-मान की अधिकतम धनराशि के बराबर या उससे अधिक हों, तो नये वेतन-मान की अधिकतम धनराशि दी जायगी और पश्चात्वर्ती दशा में जो अन्तर होगा, उसकी पूर्ति वैयक्तिक वेतन के रूप में की जायेगी जिसका प्रोन्नति पर समावेश आगे उप पैरा (7) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(3) उस दशा में, जबकि उच्चतर पद का नये वेतन-मान में, जिसमें कोई कर्मचारी स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, ऊपर निर्दिष्ट की गई रीति से निश्चित किया गया प्रारम्भिक वेतन (initial pay) उसके निम्न, मूल या मौलिक पद के नये वेतन-मान में निर्धारित प्रारम्भिक वेतन के बराबर या उससे कम हो, तो उच्चतर पद में प्रारम्भिक वेतन, निम्न पद के प्रारम्भिक वेतन के ठीक आगे के क्रम (next stage) पर पुनः निश्चित किया जायगा। निम्न/मूल (स्थानापन्न) पद के प्रारम्भिक वेतन के सन्दर्भ में वेतन के पुनः निश्चित करने के लिये, सक्षम प्राधिकारी का इस आशय का एक प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा कि यदि वह उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त न किया गया होता तो वह निम्न/मूल (स्थानापन्न) पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता। कोई पद अपेक्षाकृत उच्च है अथवा निम्न इसको निर्धारित करने की कसौटी सम्बद्ध पदों के वेतन-मानों की अधिकतम धनराशि होगी।

(4) यदि किसी कर्मचारी ने एक से अधिक उच्चतर पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य किया हो तो मध्यवर्ती पदों पर उसका वेतन निश्चित करना आवश्यक न होगा और उसे ऐसे मध्यवर्ती पद या पदों पर वेतन निश्चित करने का कोई लाभ नहीं दिया जायेगा। उदाहरणार्थ, पद "क" पर नियुक्ति के लिये "अ" का अनुमोदन किया गया और उसने पद "ख" पर कुछ समय तक स्थानापन्न रूप से कार्य किया जो "क" की अपेक्षा उच्च पद था और उस दिनांक को जिससे विकल्प चुना गया वह पद "ग" पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है जो "ख" की अपेक्षा उच्च पद है। उसका वेतन पद "ख" पर निश्चित करना आवश्यक न होगा और नये वेतन-मान में केवल पद "क" तथा "ग" पर वेतन निश्चित करना आवश्यक होगा।

यदि फिर जब कभी ऐसे कर्मचारी का किसी मध्यवर्ती पद (ऊपर दिये गये उदाहरण में पद "ख") पर प्रत्यावर्तन हो, तो उस पद पर उसका वेतन उसी क्रम में निश्चित किया जायेगा जो वह उससे और उच्च पद (उपर्युक्त उदाहरण में पद "ग") को धारण न करने की दशा में पाता। ऐसी दशा में विकल्प चुनने का दिनांक पूर्ववत् गिना जायेगा, अर्थात् पद "ग" के सम्बन्ध में चुने गये विकल्प का दिनांक।

(5) यदि उपर्युक्त पैरा 2 (ख) (i) में उल्लिखित विशेष वेतन में, जो सिविल नियम-संग्रह, खंड 2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 9 (28) में दी गई परिभाषा के अधीन किया गया हो, या तो कमी कर दी गई हो, अथवा उसे समाप्त कर दिया गया हो, तो किसी सरकारी कर्मचारी की कुल परिलब्धियों में नये वेतन-मान में उसी पद पर रहते हुए, जो कमी होगी उसकी पूर्ति वैयक्तिक वेतन के रूप में की जायगी, और ऐसा वैयक्तिक वेतन, पद से स्थानान्तरण पर समाप्त कर दिया जायगा। नये वेतन-मानों के साथ देय विशेष वेतनों के बारे में आदेश अलग से प्रसारित किये जा रहे हैं।

(6) यदि उपर्युक्त पैरा 2 (ख) (V) में उल्लिखित वैयक्तिक वेतन किसी कर्मचारी द्वारा पा
जा रहा था और नये वेतन-मान के चुनने के फलस्वरूप उसकी कुल परिलब्धियों में हानि होती हो तो पु
परिलब्धियों से पुनरीक्षित परिलब्धियों की धनराशि में जितनी कमी होती हो, उसकी पूर्ति वैयक्तिक वेतन के रू
जायगी।

1972 :

नोट—नये वेतन-मानों में वेतन निर्धारण के कुछ उदाहरण संलग्नक "क" तथा "ख" में दिये गये

(7) ऊपर उप पैरा (5) को छोड़कर उपर्युक्त सिद्धान्तों के अनुसार जहां कहीं भी वैयक्तिक
अनुमति दी जाय, वह इस शर्त के अधीन दी जायगी कि उसे वेतन की भावी वृद्धियों में संविलीन
जायेगा चाहे ऐसी वृद्धियां किन्हीं भी कारणों से प्रोद्भूत (due) हों, किन्तु किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में
वर्तमान परिलब्धियां उसके वेतन-मान की अधिकतम धनराशि से अधिक हों और जिसे वैयक्तिक वेतन स्वीकृ
गया हो, ऐसा वैयक्तिक वेतन उस वेतन में अभिवृद्धि में संविलीन नहीं किया जायगा जो उसके किसी उच्चतर पद
पदोन्नत होने पर सामान्य नियमों के अधीन उसे दी जायगी। उसके मामले में वैयक्तिक वेतन का संविलयन उस
प्रारम्भ किया जायगा जब वह सम्बद्ध उच्चतर पद के वेतन-मान में वेतन वृद्धियां अर्जित करे। अन्य
मामलों में नये वेतन-मान के साथ स्वीकृत किये गये वैयक्तिक वेतन का संविलयन ठीक उसी दिनांक से प्रारम्भ कर
जायगा जिस दिनांक से वेतन में कोई वृद्धि प्रोद्भूत (due) हो।

नये वेतन-मान चुनने अथवा पुराने वेतन-मान बनाए रखने का विकल्प

4—(1) ऐसे समस्त पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों को, जो 1 अगस्त, 1972 को या 1 अगस्त, 1972 तथ
मार्च, 1973 (दोनों दिन सम्मिलित) के मध्य कभी भी राज्य सरकार की सेवा में थे, उनके द्वारा धारित पदों के लिये अपना पु
वेतनमान ही बनाये रखने या नये वेतन-मान चुनने का विकल्प 31 दिसम्बर, 1973 तक देना होगा। जो कर्मचारी उपर्
निर्धारित तिथि तक अपना कोई विकल्प नहीं देगा, उसके बारे में यह माना जायगा कि उसने 1 अगस्त, 1972 या नि
की तिथि, जो भी बाद में हो, से नया वेतन-मान स्वीकार कर लिया है। एक बार विकल्प चुन लेने पर, वह अन्तिम
प्रत्येक कर्मचारी जो, 1 अगस्त, 1972 को या 1 अगस्त, 1972 से 6 मार्च, 1973 के बीच, किसी उच्चतर प
स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो तो वह अपने मूल/मौलिक पद तथा जिस पद पर वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा
दोनों के संबंध में या तो वर्तमान वेतन-मान ही बनाये रख सकता है या दोनों पदों के संबंध में नये वेतन-मान चुन सकता है
अन्य शब्दों में वह एक पद के लिये वर्तमान वेतन-मान तथा दूसरे पद के लिये नया वेतन-मान नहीं चुन सकता जब तक कि
से एक पद का वेतन-मान पुनरीक्षित ही न किया गया हो। यदि कोई कर्मचारी जो मूल/मौलिक पद के लिये नये वेतन-मान
विकल्प चुनने के दिनांक के बाद किसी दिनांक से स्थानापन्न पद के लिये नया वेतन-मान चुने, तो स्थानापन्न पद पर वह
समय तक वर्तमान वेतन-मान में ही वेतन, विकल्प चुनने की तिथि तक, पाता रहेगा, जो इस समय पा रहा है, परन्तु या
किसी कर्मचारी की मूल/मौलिक पद पर नये वेतन-मान में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप उसकी कुल परिलब्धियां (जिस
केवल वेतन तथा महंगाई भत्ता सम्मिलित होगा) उसके द्वारा स्थानापन्न पद पर वर्तमान वेतन-मान में प्राप्त उसकी
परिलब्धियों से [जिसमें केवल वेतन, मूल नियम 9 (21) में परिभाषित वह विशेष वेतन, जो वर्तमान परिलब्धि
की गणना में सम्मिलित किया जाता है, महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता सम्मिलित होंगे] अधिक हो जाती है,
ऐसी दशा में उनके अन्तर के बराबर धनराशि वैयक्तिक वेतन के रूप में, उसे स्थानापन्न पद पर केवल उस समय तक देय हो
जब तक कि उसके विकल्प के अनुसार उसे स्थानापन्न पद पर नये वेतन-मान में वेतन निर्धारण का लाभ न मिलने लगे। यदि
कोई कर्मचारी अपने मूल/मौलिक और स्थानापन्न पद में से किसी एक के लिये सही विकल्प प्रस्तुत करता है और दूस
के लिये अमान्य (invalid) विकल्प, अथवा दोनों के लिये अमान्य (invalid) विकल्प प्रस्तुत करता है तो यह मा
लिया जायगा कि जिस पद/पदों के लिये उसने अमान्य (invalid) विकल्प दिया है, उसके लिए वह नये वेतन-मान
दिनांक 1 अगस्त, 1972 अथवा उसके बाद की नियुक्ति की तिथि से, जैसी भी स्थिति हो, आ गया है। राजपत्रि
अधिकारी अपने विकल्प की सूचना सीधे महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को और अराजपत्रित कर्मचारी अप
विकल्प की सूचना अपने नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, जो भी प्राधिकार
सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं रखता हो, को संलग्नक "ग" के प्रपत्र में देकर रसीद प्राप्त कर लेंगे। यदि प
विकल्प सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से न दिया जा सकता हो तो उसे रजिस्ट्री डाक से (प्राप्ति की स्वीकृति पत्र के
साथ) भेजा जाना चाहिये।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार चुना गया विकल्प महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, अथवा नियमित प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, के कार्यालय में 31 दिसम्बर, 1973 को या उसके पूर्व, पहुंच जाना चाहिये। इस प्रकार चुने गये विकल्प के बारे में प्रविष्टि, जिसे समुचित रूप से प्रमाणित किया जाय; उन सभी अराजपत्रित कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिका में की जानी चाहिये, जिनके वेतन तथा भत्ते विभागाध्यक्षों प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा आहरित किये जाते हैं।

(2) यदि कर्मचारी नये वेतन-मान चुने तो या तो नया वेतन-मान प्रारम्भ होने के दिनांक अर्थात् 1 अगस्त, 1972 (या यदि 1 अगस्त, 1972 के बाद किन्तु 7 मार्च, 1973 के पूर्व भर्ती हुये तो पश्चात्वर्ती निरूकित के दिनांक से) या उसके तुरन्त बाद वर्तमान वेतन-मान में अगली वेतन वृद्धि प्रोद्भूत (due) होने के दिनांक से ऐसा कर सकता है। वित्तीय नियम-संग्रह, खंड 2, भाग 2-4 के मूल नियम 23 में तदनुसार आवश्यक संशोधन कर दिया जायगा।

(3) कोई सरकारी कर्मचारी उच्च पद, जिस पर वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, और निम्न मूल/मौलिक पद, दोनों ही के संबंध में चाहे (i) एक ही दिनांक अर्थात् 1 अगस्त, 1972 से या (ii) दोनों पदों (उच्च अथवा निम्न) में से किसी भी एक पद के संबंध में आगामी वेतन वृद्धि के दिनांक से, जो उसके (अर्थात् 1 अगस्त, 1972) के तुरन्त बाद पड़े, अथवा (iii) दोनों पदों (उच्च तथा निम्न) के संबंध में 1 अगस्त, 1972 के तुरन्त बाद पड़ने वाली वेतन वृद्धि के भिन्न-भिन्न दिनों से नये वेतन-मान को चुन सकता है। पश्चात्वर्ती दशाओं में उपर्युक्त पैरा 3 (3) के अधीन वेतन को पुन: निश्चित करने के संबंध में होने वाला लाभ उसे उस दिनांक से अनुमन्य होगा, जिससे वह उच्चतर पद के नये वेतन-मान को चुने अथवा उस दिनांक से अनुमन्य होगा जिससे वह निम्न पद का वेतन-मान चुने, जो भी बाद में पड़े।

(4) ऐसे मामलों में, जहां किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु, नये वेतन-मान लागू होने की तिथि और विकल्प प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही, बिना विकल्प प्रस्तुत किये हुए हो गई हो, यह मान लिया जायगा कि संबंधित कर्मचारी ने ऐसी तिथि/तिथियों से नया वेतन-मान चुना था अथवा वर्तमान वेतन-मान बनाए रखा था, जो भी उसे लाभप्रद हो। ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक वेतन नियत कर दिया जायगा, और संदेहास्पद मामलों में अंतिम निर्णय प्रशासकीय विभाग द्वारा लिया जायगा।

(5) ऐसे मामलों में जब कोई कर्मचारी उस दिनांक को, जब से विकल्प चुना गया हो, छुट्टी पर रहा हो तो वेतन निम्नलिखित रीति से विनियमित होगा:—

(i) यदि छुट्टी की अवधि, या तो मूल नियम 26 (बी) अथवा मूल नियम 26 (बी बी) के अधीन, उनमें दी हुई शर्तों के पूरा करने तथा उनमें विहित प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने पर मौलिक/मूल तथा स्थानापन्न पदों पर वेतन-वृद्धि के लिये जोड़ी जाती हो, तो सरकारी कर्मचारी का वेतन, इस शासनादेश की शर्तों के अनुसार, विकल्प चुनने के दिनांक से ही, उसी प्रकार निर्धारित किया जायगा, मानों कि वह उस दिनांक को छुट्टी पर नहीं था, तथापि वेतन में वृद्धि का लाभ केवल उसी दिनांक से प्राप्त होगा जिस दिनांक को उसने कार्यभार ग्रहण किया हो, किन्तु अगली वेतन वृद्धि विकल्प के दिनांक से एक वर्ष के बाद देय होगी।

(ii) ऐसे मामले में, जहां छुट्टी की अवधि वेतन वृद्धि के लिये नहीं जोड़ी जाती हो, सरकारी कर्मचारी का वेतन, नये वेतन-मान में, उसके छुट्टी से वापस आने के दिनांक से निर्धारित किया जायगा। ऐसी दशा में अगली वेतन-वृद्धि कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से ड्यूटी की निर्धारित अवधि के पूरे होने के बाद ही देय होगी, सिवाय उस दशा के जब वह मूल नियम 31 (2) के अधीन उससे पूर्व दिनांक से वेतन के पुन: निर्धारण के लिये हकदार हो जाय। मूल नियम 31 (2) के प्रथम परन्तुक (प्रोवाइज़ो) को समुचित रूप से संशोधित किया जायगा।

5—(i) जब कोई कर्मचारी नये वेतन-मान में आयेगा, तो उसे नये वेतन-मान में वेतन तथा नई दरों पर महंगाई भत्ता मिलेगा और साथ ही साथ वर्तमान महंगाई भत्ता, अतिरिक्त सहायता की धनराशि, जो ऊपर पैरा 2 (क) (6) के अन्तर्गत कालम 2 में दर्शायी गई है, तथा वर्तमान वैयक्तिक वेतन स्वत: ही बन्द हो जायेंगे।

(ii) मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सीमान्त विशेष वेतन तथा नगर प्रतिकर भत्ते को छोड़कर, जिनके बारे में आदेश अलग से प्रसारित किये जा रहे हैं, स्नातकोत्तर वेतन, प्राविधिक वेतन तथा अन्य भत्ते समय-समय

पर जारी किये गये शासकीय आदेशों के अनुसार मिलेंगे, परन्तु भविष्य में नई भर्तियों पर, स्नातकोत्तर वेतन देय न होगा। जो कर्मचारी अपने वर्तमान वेतन-मान में ही बने रहने का विकल्प चुनें वे अपने उसी वेतन-मान में वेतन तथा वर्तमान दरों पर महंगाई भत्ते, अंतरिम सहायता, आदि सहित, जिन्हें वे नये वेतन-मानों के लागू होने के समय पा रहे हों, जब तक कि उन्हें [illegible] आस्थगित, बंद अथवा पुनरीक्षित न कर दिया गया हो, पाते रहेंगे।

नये वेतन-मानों में वेतन वृद्धि का दिनांक

6—किसी ऐसे कर्मचारी की अगली वेतन वृद्धि, जिसका वेतन उपर्युक्त पैरा 3 के अनुसार नये वेतन-मान में निश्चित किया गया है, उस दिनांक से एक वर्ष के बाद उन मामलों को छोड़कर जो कि ऊपर पैरा 4 के उपपैरा (5) से नियंत्रित हों, स्वीकृत की जायगी, जिससे वह नये वेतन-मान में आने का विकल्प चुने।

7—समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी जो 6 मार्च, 1973 के पश्चात् सेवा में प्रविष्ट हुए हों, अथवा पदोन्नत हुए हों, स्वतः नया वेतन-मान और नयी दरों पर महंगाई भत्ता पायेंगे।

8—उन सब वर्गों के कर्मचारियों को, जिन पर वेतन आयोग द्वारा संस्तुत नये वेतन-मान लागू हों, नये वेतन-मानों के साथ महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा :—

वेतन सीमा			महंगाई भत्ते की दर
रु०			रु०
209 रुपये तक	..	..	14
210—399 तक	..	..	18
400—499 तक	..	..	20
500—2,250 तक	..	..	24
2,251—2,273 तक	..	..	वह धनराशि जिसे मिलाकर कुल योग रु० 2,274 हो जाय।

9—नया वेतन-मान चुनने वाले कर्मचारी का वेतन ऊपर पैरा 3 में बताई गई रीति से निश्चित किया जायगा [illegible] और दक्षता रोक नये वेतन-मान में दिये गये दक्षता रोकों के अनुसार ही कार्यान्वित होंगे, भले ही किसी कर्मचारी ने [illegible] वर्तमान वेतन-मान में उसे पार किया हो या न किया हो, या वह वर्तमान वेतन-मान में दक्षता रोक पर रोक लिया गया [illegible] किन्तु ऐसे मामलों में सुमर्थ प्राधिकारी द्वारा मूल स्थिति को प्रत्यावर्तित करने के आदेश दिये जाने पर कोई रोक न [illegible] और जब ऐसा किया जायगा तो नये वेतन-मान में वेतन उस आदेश के दिनांक पर फिर से उस प्रक्रम पर निश्चित किया [illegible] सकता है जो वर्तमान वेतन-मान में ऐसा तत्स्थानी प्रक्रम हो जिस पर संबंधित व्यक्ति उस दिनांक को प्रत्यावर्तित [illegible] गया होता। ऐसे मामलों में आपकी सूचना और मार्ग दर्शन के लिये ऊपर निर्धारित किये गये सिद्धांत को स्पष्ट करने [illegible] एक उदाहरण संलग्नक "घ" में दे दिया गया है।

10—नये वेतन-मानों में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप 28 फरवरी, 1973 तक के सेवाकाल की [illegible] धनराशि, यदि कोई हो, कर्मचारी की भविष्य निधि में जमा की जायगी और यदि वह भविष्य निधि का सदस्य नहीं हो [illegible] तो उक्त धनराशि नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट के रूप में दी जायगी, परन्तु जिस धनराशि का सर्टीफिकेट नहीं मिल [illegible] वह नकद दे दी जायेगी। नये वेतन-मानों में महंगाई भत्ते आदि के अनुसार 1 मार्च, 1973 से मिलने वाली [illegible] जो 1 अप्रैल, 1973 को देय होंगी, नकद मिल सकेंगी।

11—अंत में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त वेतन निर्धारण विषयक आदेश [illegible] परिवर्तनों सहित, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, प्राइमरी स्कूल और राज्य सरकार के सहायता-प्राप्त संस्कृत पाठशाला [illegible] तथा अरबी मदरसों के अध्यापकों आदि, विश्वविद्यालयों के तथा सहायता-प्राप्त पोस्ट ग्रेजुएट एवं डिग्री कालेजों के शि[illegible] तर कर्मचारियों, बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन तथा बोर्ड आफ होम्योपैथिक मेडिसिन के कर्मचारियों, सहायता-प्राप्त उ[illegible] माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं व आयुर्वेदिक तथा यूनानी मेडिकल कालिजों और प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं के शि[illegible] शिक्षणेतर कर्मचारियों पर भी, जिनके वेतन-मान वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित किये गये हैं, अनुदान देने [illegible]

नीति को ध्यान में रखते हुए, जैसा शासकीय संकल्प संख्या वे० आ० 637/दस–100(11)–73, दिनांक 6 मार्च, 1973 के पैरा 1(4) में कहा गया है, लागू किये जायेंगे। उनके वेतन निर्धारण के बारे में आवश्यक आदेश संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से अलग से प्रसारित होंगे।

संलग्नक––यथोपरि।

भवदीय,
स्वतंत्र वीर सिंह जनेजा,
आयुक्त एवं वित्त सचिव।

संख्या वे० आ० 2799(1)/दस–110-1973

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :––

1––माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव।

2––उत्तर प्रदेश शासन के समस्त सचिव।

3––रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4––उत्तर प्रदेश विधानमंडल के समस्त अनुभाग।

5––ऐडमिनिस्ट्रेटर, नगर महापालिका, कानपुर, आगरा, लखनऊ तथा वाराणसी एवं मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, इलाहाबाद।

6––रजिस्ट्रार, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ; इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद; आगरा विश्वविद्यालय, आगरा; कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर; गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर; पंतनगर विश्वविद्यालय, पंतनगर; मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ; रुहेलखंड विश्वविद्यालय, रुहेलखंड तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

7––समस्त प्रेसीडेन्ट, नगरपालिकाएं, उत्तर प्रदेश।

8––समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद्, उत्तर प्रदेश तथा अन्तरिम जिला परिषद्, चमोली, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी।

9––प्रिंसिपल, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ तथा झांसी।

आज्ञा से,
हर कृष्ण मेहरोत्रा,
संयुक्त सचिव।

संख्या वे० आ० 2799(2)/दस–110-1973

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
हर कृष्ण मेहरोत्रा,
संयुक्त सचिव।

संख्या वे आ० 270(3)/दस-110-1973

197

प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश शासन के -- अनुभाग

इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया-------------------------------- कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के सम्ब

में आवश्यक आलेख्य उक्त शासनादेश के पैरा 11 के अनुसार वित्त विभाग की सहमति हेतु शीघ्र प्रस्तुत करें।

आज्ञा से,

(हर कृष्ण मेहरो
संयुक्त सचिव

संलग्नक "क"

नये वेतन-मानों में वेतन निर्धारण के उदाहरण

[पैरा 3 (1) (क) में दी गयी प्रक्रिया 1 के अनुसार]

उदाहरण (1)

पद—चपरासी

पुराना वेतन-मान— रु० 55–1–75

नया वेतन-मान— रु० 165–2–185–3–215

(1)	पद पर कुल सेवा की अवधि	12 वर्ष
		रु०
(2)	पद के पुराने वेतन-मान में 1–8–72 का वेतन	75.00
(3)	महंगाई भत्ता	56.00
(4)	अंतरिम सहायता	29.00
(5)	1 अगस्त, 1972 को अनुमन्य "वर्तमान परिलब्धियां"	75+56+15=146.00
(6)	पद के नये वेतन-मान में सेवा अवधि के आधार पर पैरा 3 (1) (क) में दिये गये फार्मूला के अनुसार 1 अगस्त, 1972 को निर्धारित वेतन	165+8=173.00

उदाहरण (2)

पद—ड्राइवर (भारी गाड़ी)

पुराना वेतन-मान—रु० 80–3–140

नया वेतन-मान—रु० 185–3–215–4–235–6–265

(1) पद पर कुल सेवाकाल दो वर्ष से कम परन्तु 18 माह से अधिक ।

		रु०
(2)	पद के पुराने वेतन-मान में (18 माह या उससे अधिक पर 24 माह से कम सेवा पर) वेतन	83.00
(3)	महंगाई भत्ता	56.00
(4)	अंतरिम सहायता	29.00
(5)	1 अगस्त, 1972 को अनुमन्य वर्तमान परिलब्धियां	83+56+15= 154.00
(6)	नये वेतन-मान में सेवा अवधि के आधार पर पैरा 3(1) (क) में दिये गये फार्मूला के अनुसार 1 अगस्त, 1972 को निर्धारित वेतन	185+3=188.00

नोट—पैरा 3 (1) (ख) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार भी नये वेतन-मान में प्रारम्भिक वेतन रु० 188.00 ही होगा ।

उदाहरण (3)

पद– प्रिन्सिपल, मेडिकल कालेज।

पुराना वेतन-मान—रु० 2,000–75–2,150–100–2,250

नया वेतन-मान—रु० 2200–100–2,500

	1972
(1) पद के पुराने वेतन-मान में 8 वर्ष* में वेतन ..	
(2) महंगाई भत्ता	
(3) अंतरिम सहायता	
(4) 1 अगस्त, 1972 को वर्तमान परिलब्धियां	2,250+0+0=
(5) नये वेतन-मान में सेवा के आधार पर पैरा 3(1)(क) में दिये गये फार्मूले के अनुसार 1 अगस्त, 1972 को निर्धारित वेतन ..	2,200+300=

*नोट—प्रिंसिपल के पद पर $7\frac{1}{2}$ वर्ष की सेवा पूरी होने पर।

संलग्नक "ख"

[पैरा 3 (1) (ख) में दी गई प्रक्रिया 2 के अनुसार]

उदाहरण (1)

पद—टंकक/सामान्य श्रेणी लिपिक।

पुराना वेतन-मान—रु० 100–4–120–5–180।

नया वेतन-मान—रु० 200–5–250–6–280–8–320

	रु०
(1) पद के पुराने वेतन-मान में प्रथम वर्ष में वेतन	100.00
(2) महंगाई भत्ता	56.00
(3) अंतरिम सहायता	41.00
(4) 1 अगस्त, 1972 को "वर्तमान परिलब्धियां" ..	100+56+25=181.00
(5) नये वेतन-मान में अगला उच्चतर स्तर	200.00
(6) नये वेतन-मान में पैरा 3 (1) (ख) में दिये गये फार्मूले के अनुसार 1 अगस्त, 1972 को निर्धारित वेतन	200+5=205.00

उदाहरण (2)

पद—प्रवर वर्ग सहायक (सचिवालय)/वैयक्तिक सहायक (सचिवालय)।

पुराना वेतन-मान—रु० 200–15–350–20–450।

नया वेतन-मान—रु० 350–15–500–20–600–25–700

	रु०
(1) पद के पुराने वेतन-मान में 12 वर्ष में वेतन	390.00
(2) महंगाई भत्ता	111.00
(3) अंतरिम सहायता	50.00
(4) 1 अगस्त, 1972 को "वर्तमान परिलब्धियां" ..	390+111+30=531.00
(5) नये वेतन-मान में अगला उच्चतर स्तर	540.00
(6) नये वेतन-मान में पैरा 3 (1) (ख) में दिये गये फार्मूले के अनुसार 1 अगस्त, 1972 को निर्धारित वेतन	560.00

उदाहरण (3)

पद—ओवरसियर।

पुराना वेतन-मान—रु० 175–7–210–10–300

नया वेतन-मान—रु० 300–8–340–10–440–12–500

पद के वर्तमान वेतन-मान में नियुक्ति का दिनांक 11–9–1965 ✓

		रु०
(1)	पुराने वेतन-मान में 1 अगस्त, 1972 को वेतन	220.00
(2)	महंगाई भत्ता	111.00
(3)	अंतरिम सहायता	50.000
(4)	पुराने वेतन-मान में 11 सितम्बर, 1972 (वेतन वृद्धि के दिनांक) को "वर्तमान परिलब्धियां"	230+111+30=371.00
(5)	नये वेतन-मान में अगला स्तर	380.00
(6)	नये वेतन-मान में 11 सितम्बर, 1972 को पैरा 3 (1) (ख) के अनुसार निर्धारित वेतन	380+10=390.00

उदाहरण (4)

पद—असिस्टेन्ट इंजीनियर/डिप्टी कलेक्टर/मुन्सिफ/डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस।

पुराना वेतन-मान—रु० 300–25–400–30–700–50–900 (रु० 350 के प्रारम्भिक वेतन के साथ)।

नया वेतन-मान—रु० 550–30–700–40–900–50–1,200

(1) पद पर नियुक्ति का दिनांक 1–5–1965 ✓

		रु०
(2)	पुराने वेतन-मान में 1 अगस्त, 1972 को वेतन ..	550.00
(3)	महंगाई भत्ता	80.00
(4)	अंतरिम सहायता	70.00
(5)	पुराने वेतन-मान में 1 अगस्त, 1972 को "वर्तमान परिलब्धियां" ..	550+80+45=675.00
(6)	नये वेतन-मान में अगला स्तर	700.00
(7)	नये वेतन-मान में 1 अगस्त, 1972 को पैरा 3 (1) (ख) के अनुसार निर्धारित वेतन ..	740.00

संलग्नक 'ग'

विकल्प का प्रपत्र

(क) उन सरकारी कर्मचारियों के लिये जो नये वेतन-मान के लिए विकल्प चुनें।

मैं————————————————, घोषणा करता हूं कि मैं———————— रु० के नये वेतन-मान के लिये————————के अपने मौलिक/मूल पद के लिये (i) 1 अगस्त, 1972/ (ii) *अपनी अगली वेतन वृद्धि के दिनांक से, जो 1 अगस्त, 1972 के बाद पड़ी थी/पड़ती है* और————————रु० के नये वेतन-मान के लिये————————के पद में स्थानापन्न नियुक्ति के लिये (i) 1 अगस्त, 1972/ (ii)* स्थानापन्न नियुक्ति में अपनी अगली वेतन वृद्धि के दिनांक से, जो 1 अगस्त, 1972 के बाद पड़ी थी/पड़ती है, विकल्प चुनता हूं। मैं स्पष्ट रूप से समझता हूं कि यह विकल्प अंतिम और अप्रतिसंहार्य होगा।

हस्ताक्षर————————

पूरा नाम————————

पद नाम————————

कार्यालय————————

दिनांक————————

(*) जो बात लागू न होती हो उसे काट दिया जाय।

जो 1 अगस्त, 1972 और 6 मार्च, 1973 के बीच में नियुक्त हुए हों उन्हें 1 अगस्त, 1972 के स्थान पर अपनी नियुक्ति के दिनांक का उल्लेख करना चाहिये, यदि वे अपनी नियुक्ति के दिनांक से विकल्प चुनते हैं।

(ख) उन सरकारी कर्मचारियों के लिये जो पुराने वेतन-मान के लिए विकल्प चुनें

मैं————————————घोषणा करता हूं कि मैं———————— ————————के अपने मौलिक*/मूल* पद में————————रु० के वर्तमान वेतन-मान में और————————के स्थानापन्न पद में————————रु० के वर्तमान वेतन-मान में बने रहने का विकल्प चुनता हूं।

हस्ताक्षर————————

पूरा नाम————————

पद नाम————————

कार्यालय————————

दिनांक————————

नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/संपरीक्षा अधिकारी द्वारा विकल्प के प्रपत्र की प्राप्ति-स्वीकार किये जाने के लिये निर्देश।

संख्या----------

दिनांक----------

सेवा में,

महोदय,

मुझे शासनादेश संख्या----------दिनांक----------में दी हुई शर्तों के अनुसार----------प्रपत्र में आपके द्वारा भेजे गये आपके विकल्प दिनांक---------- की प्राप्ति-स्वीकार करने का निर्देश हुआ है*/मैं शासनादेश संख्या----------दिनांक----------में दी हुई शर्तों के अनुसार----------प्रपत्र में आपके द्वारा भेजे गये आपके विकल्प दिनांक---------- की प्राप्ति-स्वीकार करता हूं।*

भवदीय,

हस्ताक्षर तथा पदनाम।

नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/संपरीक्षा अधिकारी।

(*) जो शब्द लागू न होते हों उन्हें काट दिया जाय।

संलग्नक "घ"

(देखें पैरा 9)

उदाहरण--1

1--श्री "क" रु० 120-6-150-द० रो०-6-180-द० रो०-8-220 के वेतन-मान में एक लिपिक है जो 1 अगस्त, 1972 से नया वेतन-मान चुनता है। वह 15 अक्तूबर, 1968 से उक्त वेतन-मान में 150 रु० वेतन पा रहा था तथा उसे 15 अक्तूबर, 1969 से 150 रु० के स्तर पर दक्षता रोक पर रोक लिया गया था। उसे 21 अप्रैल, 1973 से दक्षता रोक पार करने की अनुमति दी गई।

श्री "क" का नये वेतन-मान में निम्नलिखित रीति से वेतन विनियमित किया जायेगा :--

दिनांक	वर्तमान वेतन-मान	नया वेतन-मान
	रु०	रु०
	रु० 120-6-150-द० रो०-6-180-द० रो०-8-220	रु० 230-6-290-द० रो०-8-330-द० रो०-10-380
15-10-1969	156 (काल्पनिक)	
15-10-1970	162 (काल्पनिक)	
15-10-1971	168 (काल्पनिक)	
1-8-72 से 20-4-1973	रु० 150 (वास्तविक)	रु० 278 (वेतन रु० 150+महंगाई भत्ता रु० 93+अंतरिम सहायता रु० 25, कुल योग रु० 268-अगला उच्च प्रक्रम रु० 272+एक काल्पनिक वेतन वृद्धि रु० 6, योग = रु० 278)।
1-8-1972	रु० 168 (काल्पनिक)	रु० 298 (वेतन रु० 168+महंगाई भत्ता रु० 93+अंतरिम सहायता रु० 25, कुल योग रु० 286 +अगला उच्च प्रक्रम रु० 290 +रु० 8 एक काल्पनिक वेतन वृद्धि =298 रु०)
21-4-1973	..	रु० 298 (उस दिनांक को जब दक्षता रोक पार करने के आदेश लागू हुये)।
1-8-1973	..	रु० 306 (वेतन वृद्धि के सामान्य दिनांक से)।

उदाहरण–2

यदि श्री "क" 1 अगस्त, 1972 के तुरन्त बाद पड़ने वाली अपनी वेतन वृद्धि के दिनांक अर्थात् 15 अक्तूबर, 1972 से नया वेतन-मान चुनता है तो नये वेतन-मान में निम्नलिखित रीति से उसका वेतन विनियमित किया जायेगा:—

दिनांक	वर्तमान वेतन-मान		नया वेतन-मान
	रु०		रु०
	120–6–150–द० रो०–6–180–द० रो०–8–220		230–6–290–द० रो०–8–330–द० रो०–10–380
15–10–1969 ..	156		
15–10–1970 ..	162		
15–10–1971 ..	168	(काल्पनिक)	
15–10–1972 ..	174		
15–10–1972 से 20–4–1973 ..	150 (वास्तविक)		रु० 278 (वेतन रु० 150+महंगाई भत्ता रु० 93+अंतरिम सहायता रु० 25, कुल योग रु० 268 अगला उच्च प्रक्रम रु० 272 रु०+रु० 6 एक काल्पनिक वेतन वृद्धि =रु० 278)।
15–10–1972 ..	174 (काल्पनिक)	..	रु० 306 (वेतन रु० 174+महंगाई भत्ता रु० 93+अंतरिम सहायता रु० 25, कुल योग रु० 292–अगला उच्च प्रक्रम रु० 298+रु० 8 एक काल्पनिक वेतन वृद्धि =रु० 306)।
21–4–1973 ..	..		रु० 306 (उस दिनांक को जब दक्षता रोक पार करने के आदेश लागू हुये)।
15–10–1973 ..	..		रु० 314 (वेतन वृद्धि के सामान्य दिनांक से)।

पी० एस० यू० पी०—एल० 37 जनरल (फा०)—1973—7,000।